



संख्या : 4945-नि०(मा०सं०) / उपाकालि / 157अनु.ए. / ओ.ई-4 / 95127 / 227

दिनांक 28मई, 2010

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा अभि०जसवन्त सिंह [95127 / 227] अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भण्डार खण्ड, उ०पा०का०लि०, देहरादून को अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन पत्राचार माध्यम से एम०बी०ए० अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है :-

- (1) उर्पयुक्त अनुमति केवल चालू शैक्षिक सत्र के लिए मान्य होगी,
- (2) उक्त अनुमति किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के कारपोरेशन द्वारा तत्काल निरस्त की जा सकती है,
- (3) उर्पयुक्त अनुज्ञा प्राप्ति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी मात्र इस आधार पर अवकाश, तैनाती या स्थानान्तरण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की विशेष सुविधा के पात्र नहीं होंगे,
- (4) उक्त पाठ्यक्रम / परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप डिग्री प्राप्त करने पर कारपोरेशन किसी भी प्रकार की विशेष सुविधा / लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- (5) उक्त पाठ्यक्रम / अध्ययन हेतु होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन उर्पयुक्त अधिकारी द्वारा स्वयं किया जाएगा।

निदेशक [मानव संसाधन]

संख्या : 4945-नि०(मा०सं०) / 157अनु.ए. / ओ.ई-4 / 95127 / 227, तददिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन देहरादून।
- 2- निजी सचिव, निदेशक(मा०सं०) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन देहरादून।
- 3- उप महाप्रबन्धक(सा०प्र०) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन देहरादून।
- 4- अभि०जसवन्त सिंह, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भण्डार खण्ड, उ०पा०का०लि०, देहरादून।
- 5- वैयक्तिक पत्रावली / कट फाइल / कार्या०ज्ञा० पंजिका।

✓ 10

[एम०के०जोशी]
उप महाप्रबन्धक[मानव संसाधन]